राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1581/2012/झुंझुनूं.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, झुंझुनूं. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रत्नाम्बरी स्टोन क्रेशर उद्योग, मोडापहाड़, झुंझुनूं. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/4/2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, झुंझुनूं (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 288/आरवैट/झूंझनू/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 22.02.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी स्टोन क्रेशर का व्यवसाय करता है। आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा पत्थर से ग्रिट, स्टोन ब्लास्ट व स्टोन डस्ट/बजरी का निर्माण कर विक्रय किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत स्टोन डस्ट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता मानते हुए करारोपण किया गया, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा उक्त माल को बजरी बताते हुए इस पर रूपये 6/– प्रति टन की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008–09 का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23/24 के तहत दिनांक 10.9.2010 को पारित करते हुए अन्तर कर रूपये 16,520/– एवं तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय आदेश दिनांक 22.2.2012 से स्वीकार करते हुए, प्रकरण पुनः आदेश पारित करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया, जिससे व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

लगातार.....2

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा स्टोन डस्ट का विक्रय किया गया है, जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है। जबकि प्रत्यर्थी द्वारा रूपये 6/– प्रति टन की दर से कर वसूल किया गया है। इस प्रकार कम दर से कर वसूल किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अतिरिक्त कर एवं ब्याज पूर्णतया विधिसम्मत हैं। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा पत्थर से ग्रिट एवं बजरी का निर्माण कर विक्रय किया जाता है, जिसका उपयोग मकानों के निर्माण/चिनाई में किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण आदेश में प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत बजरी पर रूपये 6/– प्रति टन की दर से ही करारोपण किया गया है। अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा बजरी पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता अधिसूचना दिनांक 9.3.2009 से की गयी है। अतः इससे पूर्व की अवधि के लिये रूपये 6/– प्रति टन की दर से ही करदेयता बनती है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी को विशिष्ठ नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जो कि वेट नियम 48 अनुसार बाध्यकारी है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी के इस तर्क में भी बल है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में स्टोन डस्ट को बजरी ही कहा जाता है, जिस पर रूपये 6/– प्रति टन की दर से करदेयता बनती है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित माल के वर्गीकरण बाबत स्पष्ट जांच करते हुए एवं प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान के

लगातार.....3

पश्चात प्रकरण में पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है।

परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय आदेश दिनांक 22.2.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
28/4/14